भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1193

जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2023 को दिया जाना है।

.....

नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाएं

1193. श्री मल्लिकार्जुन खरगेः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित और उपयोग की गई राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है और ऐसी परियोजनाओं के पूरा होने की स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गंगा नदी में प्रदूषण के स्तर का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गंगा जल अब विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों पर पीने और नहाने के लिए सुरक्षित है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क): नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरूआत जून, 2014 में 31 मार्च, 2021 तक की अवधि के लिए 20,000 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय से गंगा और इसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए की गई थी। भारत सरकार ने कार्यक्रम की आवश्यकता और इसके विस्तार को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2026 तक 22,500 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ नमामि गंगे मिशन-II को मंजूरी दे दी है जिसमें मौजूदा देनदारियों (11,225 करोड़ रुपए) सहित नई परियोजनाएं/कार्यकलाप (11,275 करोड़ रुपए) शामिल हैं।

भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2014-15 से 31 जनवरी 2023 तक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के लिए कुल 14,084.72 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिसमें से एनएमसीजी द्वारा गंगा संरक्षण संबंधी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों, राज्य स्वच्छ गंगा मिशनों और अन्य एजेंसियों को 13,607.18 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-वार कोई आबंटन नहीं किया गया है। हालांकि, एनएमसीजी द्वारा वर्ष 2014-15 से 31 जनवरी, 2023 तक संकलित की गई परियोजनाओं के कार्यान्वयन वाली विभिन्न एजेंसियों को जारी की गई राशि निम्नानुसार है:

राज्य	राशि (करोड़ रु.)
उत्तराखंड	1,149.01
उत्तर प्रदेश	4,347.24
बिहार	3,526.43
झारखंड	250.05
पश्चिम बंगाल	1,369.12
मध्य प्रदेश	9.89
दिल्ली	1,253.86

हरियाणा	89.61
राजस्थान	71.25
हिमाचल प्रदेश	3.75

(ख): नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों के पुनरुद्धार के लिए अपशिष्ट जल शोधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नदी तट प्रबंधन (घाट और शवदाह गृह विकास), ई-प्रवाह, वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी आदि जैसे बड़े कार्य किए गए हैं। अब तक, 31 दिसंबर 2022 तक, 32,912.40 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से कुल 409 परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें से 232 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और संचालन में हैं। अधिकांश परियोजनाएं सीवेज अवसंरचना के सृजन से संबंधित हैं क्योंकि अनुपचारित घरेलू/औद्योगिक अपशिष्ट जल नदी में प्रदूषण का मुख्य कारण है। 177 सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को 26,673.06 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया है जिससे कि 5,269.87 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) क्षमता का निर्माण और पुनर्वास किया जा सके और 5,213.49 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क बिछाया जा सके। इनमें से, 99 सीवरेज परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिसके परिणामस्वरूप 2,043.05 एमएलडी की एसटीपी क्षमता का निर्माण और पुनर्वास हुआ है और 4,260.95 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क बिछाया गया है। सीवेज शोधन अवसंरचना के निरंतर संचालन को बनाए रखने के लिए हाइब्रिड एन्यूटी आधारित पीपीपी मोड भी अपनाया गया है।

(ग) से (ङ.): नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) के माध्यम से 5 मुख्य धारा वाले राज्यों में 97 स्थानों पर गंगा नदी की जल गुणवत्ता आकलन हेतु अध्ययन कर रहा है। नदी जल की गुणवत्ता का आकलन बाहरी स्नान के लिए अधिसूचित प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंडों के लिए किया जाता है। सीपीसीबी द्वारा विनिर्दिष्ट पेयजल के उत्कृष्ट जल उपयोग गुणवत्ता मानदण्डों के अनुसार, नदी जल का उचित शोधन के बाद ही इसे पीने के प्रयोजन में उपयोग किया जा सकता है।

गंगा की मुख्य धारा वाले 5 राज्यों में वर्ष 2022 (जनवरी से अक्टूबर) में सीपीसीबी द्वारा जल गुणवत्ता आकलन के आधार पर पाई गई जल गुणवत्ता से पता चलता है कि घुलित ऑक्सीजन का औसत मान जो नदी के स्वास्थ्य का संकेतक होता है, अधिसूचित प्राथमिक स्नान जल गुणवत्ता मानदंडों की स्वीकार्य सीमाओं के भीतर पाया गया है और गंगा नदी के लगभग पूरे खंड में नदी के पारिस्थितिकी प्रणाली में संतोषजनक रूप से मददगार है। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) का औसत मान स्थानों/खंडों अर्थात (i) उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद से काला कांकर, राय बरेली और डाउनस्ट्रीम मिर्जापुर से ताड़ीघाट, गाजीपुर (वाराणसी, विश्व सुंदरी पुल को छोड़कर) और पश्चिम बंगाल में (ii) शीतलाताला, पाल्टा में कहीं-कहीं पर इस मान में मामूली बढ़त (बीओडी: 3.3 से 4.7 मिलीग्राम/लीटर) पाई गई है।

इसके अलावा, वर्ष 2014 और 2022 (जनवरी से अक्टूबर) के जल गुणवत्ता मानदंडों जैसे डीओ, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) और फिकल कोलीफॉर्म्स (एफसी) के औसत आंकड़ों की तुलना के अनुसार बहु-क्षेत्रीय कार्यकलापों के परिणामस्वरूप; डीओ (मेडियन) का 33 स्थानों में सुधार हुआ है, बीओडी (मेडियन) में 41 स्थानों पर और एफसी (मेडियन) में क्रमशः 28 स्थानों पर सुधार हुआ है।
